राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6418/2024

मैसर्स वाहेगुरु ट्रेडलिंक, इसके भागीदार दुर्गेश गर्ग पुत्र कृष्ण कुमार 15, आशियाना विलेज, भिवाड़ी राजस्थान-301019 के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और सीजीएसटी, एनसीआरबी, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-I के माध्यम से।

2. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, डिवीजन-B, ए-ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर-301001

----प्रतिवादी

के साथ संबद्ध

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6433/2024

दुर्गेश गर्ग पुत्र कृष्ण कुमार, निदेशक मैसर्स अंबे इस्पात प्रा. लिमिटेड, 15, आशियाना विलेज, भिवाड़ी, राजस्थान - 301019

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीजीएसटी, एनसीआरबी, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-I के माध्यम से।

2. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, डिवीजन-B, ए ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर-301001।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6507/2024

दुर्गेश गर्ग पुत्र कृष्ण कुमार, भागीदार मैसर्स वाहेगुरु ट्रेडलिंक 15, आशियाना विलेज, भिवाड़ी राजस्थान - 301019।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीजीएसटी, एनसीआरबी, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-I के माध्यम से।

2. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, डिवीजन-B, ए ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर - 301001।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6509/2024

मैसर्स अंबे इस्पात प्रा. लिमिटेड, 15, आशियाना विलेज, भिवाड़ी राजस्थान - 301019, निदेशक दुर्गेश गर्ग पुत्र कृष्ण कुमार के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और सीजीएसटी, एनसीआरबी, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-I के माध्यम से।

2. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, डिवीजन-B, ए ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर - 301001।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री पी.के. कासलीवाल के साथ

श्री प्रियेश कासलीवाल

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री किंशुक जैन के साथ

श्री सौरभ जैन

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

12/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. इन याचिकाओं को इस सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6418/2024 से लिए जा रहे हैं।

2. यह याचिका सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 01.12.2023 के आदेश के तहत सुधार आवेदन को खारिज किए जाने से व्यथित होकर दायर की गई है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने नवंबर, 2014 से अप्रैल, 2015 की अवधि के दौरान मैसर्स तरुण अलॉयज लिमिटेड यूनिट-II, भिवाड़ी, राजस्थान (संक्षेप में 'मैसर्स तरुण अलॉयज') को सामग्री की आपूर्ति की। उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा यह मामला स्थापित करते हुए कार्यवाही शुरू की गई थी कि मैसर्स तरुण अलॉयज, याचिकाकर्ता सहित तीन पक्षों द्वारा जारी किए गए चालानों के आधार पर दावा किए गए 22,13,137/- रुपये के सेनवाट क्रेडिट का हकदार नहीं था। लेन-देन को फर्जी माना गया और याचिकाकर्ता सहित सभी पक्षों पर बनाई गई मांग के बराबर जुर्माना लगाया गया। निर्णायक आदेश से व्यथित होकर,

याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे पूरी राशि के अपेक्षित पूर्व-जमा का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता उसी आधार पर न्यायाधिकरण के समक्ष विफल रहा और उसके बाद, सुधार आवेदन खारिज होने के बाद, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के संबंध में मैसर्स तरुण अलॉयज को अस्वीकृत सेनवाट क्रेडिट 3,48,126/- रुपये की गई आपूर्ति की राशि का था। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता के संबंध में मांग 3,48,126/- रुपये की गई आपूर्ति की राशि के लिए उत्पन्न की जानी चाहिए थी।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की अपील पर पूर्व-जमा का पालन न करने के कारण विचार नहीं किया गया।

6. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना और अभिवचनों का अवलोकन किया।

7. यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के संबंध में मैसर्स तरुण अलॉयज को अस्वीकृत सेनवाट क्रेडिट 3,48,126/- रुपये की राशि का था। निर्णायक अधिकारी ने दिनांक 31.03.2022 के आदेश द्वारा मैसर्स ए.आई. मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अंबे इस्पात प्रा. लिमिटेड और याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के लिए 22,13,137/- रुपये के सेनवाट क्रेडिट की मांग की पुष्टि की। तीनों आपूर्तिकर्ताओं पर मांग के बराबर जुर्माना लगाया गया, जबकि आपूर्तिकर्ताओं पर केवल उनके द्वारा की गई आपूर्ति के संबंध में ही जुर्माना लगाया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, मामले को याचिकाकर्ता के संबंध में जुर्माने सहित मांग की मात्रा के मुद्दे पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए सहायक आयुक्त को वापस भेजा जाता है।

8. आगे की देरी से बचने के लिए, पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 20.08.2024 को सुबह 11:00 बजे उपस्थित हों।

9. कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय के बाद, यदि कोई शेष शिकायत है, तो उसके निवारण के लिए याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. रिट याचिकाएं तदनुसार निस्तारित की जाती हैं।

(आशुतोष कुमार), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

सिंपल कुमावत /01-04

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़